

# न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, सीकर

.....शिव प्रसाद..... बनाम .....हरी सिंह.....  
किस्म मुकदमा .....2257/M..... मु. नं०..... वर्ष.....2021.....

दिनांक	आज्ञा पत्र
--------	------------

2-3-21

अपील दर्ज रजिस्टर हो। अपीलांट की और से अधिवक्ता श्री नवरत्न सोनी उपस्थित स्थगन पर वकील अपीलांट को सुना गया। वकील अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय के आदेश का फायदा उठाकर रेस्पोंडेंट विवादित भूमि को बेचान करने पर आमादा है अतः स्थगन स्वीकार किया जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं वकील अपीलांट की बहस पर मनन किया। विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन आदेश धारा 212 के आवेदन संख्या 11/2021 में प्रस्तुत आवेदन धारा 151 में पारित किया गया है। मूल आवेदन धारा 212 विचारण न्यायालय में लम्बित है। चूकिं प्रस्तुत अपील अन्तरिम आदेश के विरुद्ध है। ऐसी अपील इस स्तर पर पोषणीय नहीं होने से इसी स्तर पर खारिज योग्य पाई जाती है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट पोषणीय नहीं होने से इसी स्तर पर खारिज की जाती है। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शूमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।



राजेश्वर सिंह चौधरी  
(राजेश्वर सिंह चौधरी)  
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं  
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी  
सीकर